# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर जिला दौसा

मु.नं. 19 /2024

महेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा राज.

— प्रार्थी

बनाम

1.रमाकान्त पुत्र रामदयाल

2.विष्णु कान्त पुत्र रामदयाल
जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर

3.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मण्डावर जिला दौसा।

4.आसिफ खानं पुंत्र साबुद्दीन

5.साहिल खान पुत्र साबुद्दीन
जातियान मेव निवासी खेडली सैयद तहसील अलवर जिला अलवर।

— अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 11.07.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1697 रकबा 1.09 हैक्टयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है। खातेदारान ने आराजी आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा दिनांक 5.04.2023 को अविभाजित जमीन में निर्माण करने के आशय से नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया। आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा निर्माण का विरोध किया तो अप्रार्थीगण एक दम नाराज हो गये और कहने लगे कि आराजी को प्रभावशाली व्यक्तियों को विक्रय कर देगें। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से बंटवारा कराने की कहा तो आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपनी इस योजना में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई को पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakhan Singh Gurjar
Date: 2024.10.01 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1, 2 व 3 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ऐडी से की गई किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

कोई उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी साहिल खॉ व आशिफ खा पिसरान साहबूदीन जाति मेव निवासी खेडली सैयद जिला अलवर द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश कर निवेदन किया कि हमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार मुकदमा बतौर प्रतिवादी/अप्रार्थी बनाया जावे। प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई जाकर उभय पक्ष की वहस सुनी गई जिस पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार मुकदमात बनाया गया। उक्त अप्रार्थीण सं. 4 व 5 ने प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव दिनांक 11.07.2024 को प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जबाव में जाहिर किया कि प्रार्थी स्वयं ही अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 को अप्रार्थी सं. 4 व हिस्सा 1/3 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 को अप्रार्थी सं. 5 को जरिये विक्रय इकरार नामा पर सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने भी अपने आराजी हिस्सा 1/3 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 को अप्रार्थी सं. 4 व हिस्सा 1/3 का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 को अप्रार्थी सं. 5 को जरिये विक्रय इकरार नामा एवं रजिस्टर्ड विक्रंय कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी एंवं अप्रार्थी संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रह जाता है। प्रार्थी द्वारा झूठा मुकदमा पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया:—

**1.प्रथम दृष्टया प्रकरण:—** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2072—75 ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा की उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 भाग दर्ज रिकार्ड है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 अप्रार्थी सं. 4 व 5 को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी अप्रार्थी सं. 4 व 5 को अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पक्ष में सावित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakhan Singh Gurjar
Date: 2024.10.01 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner

इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सिद्ध करने में असफल रहे है।

**2.सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2072–75 ग्राम मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा की उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 भाग दर्ज रिकार्ड है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 अप्रार्थी सं. 4 व 5 को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया है तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिये असुविधाजनक होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को ही होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होगा।

**3.अपूरनीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 4 व 5 में निहित है। इसलिये अपूरनीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 4 व 5 को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है किः–** प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.04.2024 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावर जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakhan Singh Gurjar
Date: 2024.10.01 13:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner